710
11/12/12

खण्ड-8 संख्या-23

दशम
बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार तिथि 28 जुलाई, 1992 ई०।

सत्यमेव जयते

विधेयक को स्वीकृत कीजिए।

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि -

"बिहार जिला विधेयक, 1992 स्वीकृत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। "बिहार जिला विधेयक, 1992"

स्वीकृत हुआ।

(३) पटना नगर निगम [संशोधन एवं विधि मान्यकरण] (संशोधन) विधेयक, १९९२:

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा:- :- महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

"पटना नगर निगम [संशोधन एवं विधि मान्यकरण] [संशोधन] विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ।

यह पुरःस्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

राजकीय विधेयक

श्री उपेन्द प्रसाद वर्मा:- महोदय, मै प्रस्ताव करता हूँ कि :-

"पटना नगर निगम [संशोधन एवं विधि मान्यकरण](संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार हो।

अध्यक्ष :- इसमें जनमत जानने के लिए संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने के लिए एवं प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया है।

जनमत जानने के लिए प्रस्ताव

अध्यक्ष :- माननीय सदस्य श्री राम जतन सिन्हा एवं माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी का प्रस्ताव है। माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी।"

श्री सुशील कुमार मोदी :- अध्यक्ष महोदय, लगता है कि कांग्रेस शासन और जनता दल के शासन में कोई अन्तर नहीं रह गया है। कांग्रेस ने भी चुनाव नहीं कराया और ये भी चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। इनके यहां एक प्रस्ताव का पद है, इसकी अवधि 8 साल की थी, उसको बढ़ाकर इन्होंने 12 साल कर दिया, अब संशोधन कर प्रशासक को 13 साल तक रखना चाहते हैं। नगर निगम में पहले प्रशासक 12 साल तक काम करते थे, लेकिन ये पूरे बिहार में अपनी घोषणा के बावजूद भी चुनाव नहीं करा रहे हैं, वे समझते हैं कि चुनाव कराने से जनता दल फिर पावर में नहीं आ सकेग, इसलिये प्रशासक की कार्यावधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

श्री उपेन्द प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे है,

उनको मैं बतलाना चाहता हूँ कि दरभंगा में चुनाव हो चुका है, बाकी जो बचे हैं, पटना, राँची , मुजफ्फरपुर, गया में अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, अब हम मात्र एक साल का समय मांगते हैं, जो नगर निगम की वित्तीय स्थिति है, चुनाव से उस पर खर्च पड़ेगा, इसका वहन पटना नगर निगम को करना पड़ेगा। इसलिये हम एक साल की कार्यावधि की विस्ताव की मांग कर रहे हैं ताकि चुनाव में कों बाधा नहीं हो। इसके लिये जो प्रोसीजर है, उसको पूरा करना है। सरकार इसके लिये संकलप्रित है कि चुनाव करायें। इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संशोध न वापस ले लें।

श्री सुशील कुमार मोदी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने पिछले सत्र में जो भी आश्वासन दिया थास, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं कराया, सलिये हमें इनके आश्वासन पर भरोसा नहीं है, इसलिये हम अपना संशोधन वापस नहीं लेंगे।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जो चुनाव के प्रोसिजियोर है, उसको हमलोग स्टार्ट करेंगे। इसलिये माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि -

"पटना नगर निगम (संशोधन एवं विधि मान्यकरण)

(संशोधन) विधेयक, 1992 तिथि 14 अगस्त, 1992 तक जनमत जानने

के लिए परिवारित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

जनमत जानने के लिए प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि -

"पटना नगर निगम (संशोधन एवं विधि मान्यकरण)

(संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंडशः विचार

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि -

"खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष,:- खण्ड-3 में तो संशोधन है। माननीय सदस्य श्री राजो बाबू अपना संशोधन मूभ करेंगे?

श्री राजो बाबू :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

"विधेयक के खण्ड-3 की तृतीय पंक्ति में शब्द "एक सौ छप्पन" के स्थान पर शब्द "एक सौ अड़सठ" रखा जाये।"

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तपाक से कह दिया कि हम जनता दल के सरकार हैं, कांग्रेस के सरकार नहीं हैं । आपने जब कानून में पहले संशोधन कराया, उसी समय आपने क्यों नहीं समय मांगा था। आप जो अभी 12 महीना का समय मांग रहे हैं, आपको जरा सा भी ह्या नहीं है, ग्लानि तो है ही नहीं, ह्या भी नहीं है। लगता है कि पहले जो 144 महीना था, उसके बाद फिर ये 12 महीना मांग रहे है। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं दिया, आडिनेन्स जो दिया, उसके बाद 6 महीना के बाद भी आपने क्यों नहीं लाया। आपका विभाग इस काम को करने में अक्षम है, आपका पकड़ विभाग पर नहीं है, इसलिये आपको बार-बार करना पड रहा है। फिर इसको नहीं लाना पड़े, इसीलिये हमने संशोधन दिया है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, राजो बाबू ने जो कहा, उस संबंध में कहना चाहता हूँ कि पटना नगर निगम 1991 की धारा 79 (ए) के प्रशिष्ट में चुनाव से संबंधित सारा खर्च नगर निगम को दिया जाता है, जब हम चार स्थान का एक साथ चुनाव करावेगें तो उसमें 60 से 80

लाख रुपया खर्च होगा। जो फिलहाल इनकी आर्थिक स्थिति है, उसमें यह संभव नहीं है। इसलिये हम प्रोसिजर स्टार्ट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट तैयार करा रहे हैं। इन चीजों को मद्देनज़र रखते हुये हमने एक साल का समय मांगा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस अवधि को बढ़ाने में कोई आपति नीं होनी चाहिये और हम इस अवधि में चुनाव करा देंगे, हम इसके लिये सझम है और हमारा विभाग पर पूरा पकड़ है।

श्री राजे सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये हमारे पास किसी काम के लिये नहीं आये हैं, क़िसी स्कीम के लिये नहीं आये हैं, स्कीम में पावर के लिये नहीं आये हैं, टैक्सेशन के लिये नहीं आये हैं। ये आये हैं एक ही आदमी से प्रशासन चलाने के लिये, यह उचित हो या अनुचित हो, इसी को रेगुलाईज करने के लिये आये हैं। सुशील कुमार मोदी जी ने ठी ही कहा है कि ये जो आश्वासन देते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, पिछले दफा चुनाव कराने का आश्वासन दिया, लेकिन चुनाव नहीं कराया । पिछले दफा चुनाव कराने क़ा आश्वासन दिया, लेकिन चुनाव नहीं कराया । इनकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ये फेवाईज बनाकर चुनाव का काम करावें, एक महीना के बाद करावें या दो महीना केबाद करावें, लेकिन नगर विका का काम किसी एक आदमी के जिम्मे कर देना, यह डेमोक्रेटिक सरकार का लक्षण नहीं है। इसमें ये पूरी तरह से फेल हो गये है, जिसको इन्होंने मान लिया है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हमने ज्यादा समय नहीं मांगा है, एक साल का समय मांगा है, लेकिन माननीय सदस्य ज्यादा समय के लिये

संशोधन दे रहे हैं।

श्री राजो सिंह :- आप बहरे हैं, निकम्मे हैं, आप इस काम को नहीं कर पायेंगे।

अध्यक्ष :- विधेयक के लिये सदन में चार बजे तक का समय रखा गया था, अभी चार बजे रहे हैं, यदि सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो तो समय बढ़ा दिया जाय।

श्री राजो सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आज का जो टारगेट है विधेयक पास करने का उसके पास होने के लिए समय बढ़स डिया जाय।

अध्यक्ष :- ठीक है, आज के लिये जो विधेयक है, उसके पास होने तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि –

"विधेयक के खण्ड-3 की तृतीय पंक्ति में शब्द एक सौ छप्पन के स्थान पर शब्द एक सौ अड़सठ रखा जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष :- माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी अपना संशोधन मूभ करेंगे?

श्री सुशील कुमार मोदी :- जी हाँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

"विधेयक के खण्ड-3 को विलोपित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रशासक की आवश्यकता ही नहीं थी। मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि पटना नगर निगम में इसका कोई औचित्य ही नहीं है। जो अभी स्थिति है, पिछले दो वर्षों से प्रशासक को हटाये हुये हैं, ये एक ही आदमी से नगर निगम और पी०आर०डी०ए० का काम चलाते हैं, इनको कोई आदमी नहीं मिता हे, प्रशासक कब तक रखेंगे? मेरा सुझाव है कि जब तक ये चुनाव नहीं करात हैं तब तक जो पुराने पार्षद है, इन्हीं को काम करने दिया जाय और विधेयक में इस तरह का

प्रावधान होना चाहिये कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक पुराने पार्षद ही काम करेंगे , इसीलिये खण्ड-3 को विलोपित करने का प्रस्ताव हमने दिया है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक पटना नगर निगम (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) (अधिनियम 1985 बिहार अधिनियम 8, 1985) के तहत एक प्रशासक को अधिकृत किया गया है कार्य करने के लिये, जब चुनाव हो जायेगा तो वह स्वतः समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि -

"विधेयक के खण्ड-3 को विलोपित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि -

"खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष :- खण्ड-4 में दो संशोधन हैं।

खण्ड-4

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, खण्ड-4 में माननीय सदस्य श्री राजो सिंह ने जो सुझाव दिया है, ऐसा लगता है, कि इन्होंने बिल को पढ़ा है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यह जो "दत्त" शब्द बिल में है, यह "प्रदत्त" शब्द ही है, यह मिसप्रिंट हो गया है और सभा सचिवालय इसके लिए सक्षम है कि जो शब्द मिसप्रिन्ट हो गया है उसको सुधारे ।

श्री राजो सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं इनको आँख में अँगुली देकर बता रहा हूँ और इसलिए मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। यदि आप इसको करेक्ट कर लेते हैं तो इसे हम मूभ नहीं करेंगे।

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि -

"खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बना।

खण्ड-1

इसमें चार संशोधन हैं।

(क्र०सं०-6 माननीय सदस्य श्री राम जतन सिन्हा अनुपस्थित)

श्री राजो सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

"विधेयक के खण्ड-1 के उपखंड (2) में शब्द "लो" को विलोपित किया जाय।"

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मान्य नहीं है।

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि -

"विधेयक के खण्ड-1 के उपखंड (2) में शब्द "लो" को विलोपित किया जाय।"

यह संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री राजोसिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"विधेयक के खंड-1 के उपखंड (2) में शब्द "होगा" के स्थान पर शब्द "हुआ" माना जायेगा रखा जाय।"

अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि पहली अप्रील, 1992 से प्रवृत्त होगा। अभी जुलाई हो रहा है। अगर ये बिल मार्च में लाते तब यह ठीक था। लेकिन ये जुलाई में बिल ला रहे हैं, इसलिए प्रवृत्त हुआ शब्द ही उपर्युक्त होगी।

अध्यक्ष :- महोदय, इनको एलर्जी है कि यदि हम इनको बता देंगे तो लोग समझेंगे कि इनकी बुद्धि कम है। इनको मानता हूँ।

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि -

"विधेयक के खंड-1 के उपखंड (2) में शब्द "होगा" के स्थान पर

शब्द "हुआ" माना जायेगा रखा जाय।"

यह संशोधन स्वीकृत हुआ।

(क०सं०-9 श्री राम जतन सिन्हा , अनुपस्थित)

अध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि-

खंड-1 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-1 यथा संशोधित इस विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि-

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"प्रस्तावना" इस विधेयक का अंग बना।।

प्रश्न यह है कि-

"नाम" इस विधेयक का अंग बने।

राजकीय विधेयक

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"नाम" इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव :

श्री उपेन्द प्रसाद वर्मा :- महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"पटना नगर निगम (संशोधन एवं विधि मान्यकरण)

(संशोधन) विधेयक, 1992 स्वीकृत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"पटना नगर निगम (संशोधन एवं मान्यकरण)

(संशोधन) विधेयक, 1992 स्वरकृत हुआ।"

(४.) कोशी पीड़ित विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, १९९२:

(माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा का अस्वीकृति का प्रस्ताव उनके अनुपस्थिति के कारण पुट नहीं हुआ)

श्री तुलसी सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"कोशी पीड़ित विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित